निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 165/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनैन्स बैंक लि., रजिस्टर्ड आफिस 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर एवं ए यू स्क्वायर बी–11 –ई, मालवीय नगर इण्डिस्ट्रीज एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. कमलेश सोनी पुत्र मदन लाल सोनी
2. मदन लाल सोनी पुत्र बाबूलाल सोनी
   निवासी 681, मैदावालों का मोहल्ला, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
3. बाबू लाल सोनी पुत्र घीसालाल सोनी
   निवासी 681, मैदावालों का मोहल्ला, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
   व पट्टा नं. 250 संकल्प नं. 7, मैन मार्केट, ग्राम मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
4. विरेन्द्र सोनी पुत्र मदन लाल सोनी
5. श्रीमती मीना देवी पत्नी मदन लाल सोनी
   निवासी 681, मैदावालों का मोहल्ला, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
6. नित्यानन्द शर्मा बालमुकन्द शर्मा निवासी मनोहरपुर, तहसील, शाहपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री मनोज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

आदेश दिनांक 10-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.11.2015 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री बाबू लाल सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 250, संकल्प संख्या 7, मैन मार्केट ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 46.46 वर्गगज को बन्धक रख कर 7,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.03.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज

भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं है।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.03.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः दैनिक नव ज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 20.04.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री बाबू लाल सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 250, संकल्प संख्या 7, मैन मार्केट ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 46.46 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)